

कार्यालय जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी, जनपद-उन्नाव।


विज्ञापित संख्या- 1002 / ई-लाटरी / प्रथम चरण / व्यवस्थापन / 2021-22 दिनांक: फरवरी 21, 2021


विज्ञापित

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 हेतु जनपद उन्नाव में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण एवं प्रथम चरण की ई-लाटरी द्वारा व्यवस्थापन कराये जाने के पश्चात् अद्यतन अव्यवस्थित निम्नलिखित भांग दुकानों का व्यवस्थापन द्वितीय चरण की ई-लाटरी द्वारा किया जायेगा।

क0सं0	दुकान का नाम	एम0जी0क्यू0 (किग्रा0 में)	लाइसेंस फीस
1	रामपुरी-(क)	250	2,55,000
2	गदनखेडा-(क)	250	3,25,000
3	लालकुआ	40	1,00,000

द्वितीय चरण की ई-लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 23.02.2021 (मध्याह्न 12:00 बजे) से दिनांक 26.02.2021 (सायं 05:00 बजे) तक ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। ई-लाटरी के माध्यम से इच्छुक आवेदकों द्वारा जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तें जनपद की वेबसाइट www.unnao.nic.in, विभागीय वेबसाइट www.oldupexcise.in तथा ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर देखी जा सकती है। द्वितीय चरण की ई-लाटरी दिनांक 02.03.2021 को प्रातः 12:30 बजे से पन्नालाल सभागार कलेक्ट्रेट, उन्नाव में निकाली जायेगी।


(के0के0 शुक्ला)
जिला आबकारी अधिकारी,
जनपद-उन्नाव।


(रवीन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी,
जनपद-उन्नाव।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

संख्या: 24783-24858 / दस-लाइसेंस-367 / सुझाव आबकारी नीति / 2021-2022 / दिनांक: प्रयागराज: फरवरी 17, 2021

प्रेषक,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु ई-लाटरी के प्रथम चरण के उपरान्त अवशेष दुकानों के ई-लाटरी के द्वितीय चरण हेतु दुकानों के एम0जी0क्यू0 / लाइसेंस फीस निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयांतर्गत अवगत कराना है कि आबकारी नीति वर्ष 2021-22 के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या 03/2021/2828ई-2/तेरह 2020-02/2020 दिनांक 08 जनवरी, 2021 के प्रस्तर 2.11.1(क) में निम्नानुसार प्राविधान है :-
" राजस्व एवं व्यवस्थापन हित में प्रथम चरण की ई-लाटरी के पश्चात् यथावश्यकता तदनुसार प्रत्येक चरण हेतु ई-लाटरी / ई-टेण्डर एवं एम0जी0क्यू0 / लाइसेंस फीस निर्धारण के सम्बन्ध में पृथक शासनादेश निर्गत किया जायेगा।"

आबकारी नीति वर्ष 2021-2022 के अनुसार ई-लाटरी का प्रथम चरण दिनांक- 16.02.2021 को सम्पन्न हो चुका है तथा प्रथम चरण की ई-लाटरी के पश्चात् अव्यवस्थित रह गयीं शेष दुकानों का व्यवस्थापन द्वितीय चरण की ई-लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।
शासनादेश संख्या 472 ई-2/तेरह-2021-02 / 2020 दिनांक 17.02.2021 (छाया प्रति संलग्न) के अंतर्गत ई-लाटरी के द्वितीय चरण हेतु दुकानों के एम0जी0क्यू0 / लाइसेंस फीस निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:-


"दूसरे चरण की ई-लाटरी (ई-लाटरी के प्रथम चरण के पश्चात् व्यवस्थापन हेतु अवशेष समस्त दुकानों हेतु) वर्ष 2020-2021 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. / लाइसेंस फीस पर होगी।"

उक्त के क्रम में यह विशेष रूप से अवगत कराया जाता है कि ऐसी दुकानें जिन्हें कतिपय कारणों से प्रथम चरण की ई-लाटरी में विज्ञापित नहीं किया जा सका था, के एम.जी.क्यू. / लाइसेंस फीस में, द्वितीय चरण की ई-लाटरी हेतु, कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसी दुकानों की द्वितीय चरण की ई-लाटरी वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. / लाइसेंस फीस पर ही होगी।

अतः अनुरोध है कि कृपया तदनुसार द्वितीय चरण की ई-लाटरी की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


भवदीय,


(पी0गुरु प्रसाद)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या: / दस-लाइसेंस-367 / सुझाव आबकारी नीति / 2021-2022 / दिनांक तददिनांक।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग, बापू भवन, लखनऊ।
- 2- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, योजना भवन, लखनऊ।
- 3- संयुक्त आबकारी आयुक्त, टास्कफोर्स, मुख्यालय।
- 4- समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त जिला आबकारी अधिकारी, जनपद, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।
- 7- लाइसेंस अनुभाग, गार्ड फाइल।


(पी0गुरु प्रसाद)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

**वित्तीय वर्ष 2021-22 में द्वितीय चरण की ई-लाटरी द्वारा व्यवस्थापन हेतु भोंग दुकानों की लाइसेंस
फीस / एम0जी0क्यू0 / प्रतिभूति / हैसियत की धनराशि आदि का विवरण जनपद उन्नाव**

क्र०स०	दुकान का नाम	प्रास्थिति	वर्ष 2021-22 हेतु					
			दुकान की वर्ष 2021-22 हेतु निधारित ला0फीस	दुकान की वर्ष 2021-22 हेतु निधारित एम0जी0क्यू0	धरोहर धनराशि	हैसियत धनराशि	प्रतिभूति धनराशि	प्रतिफल शुल्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	(62359) RAMMPURI-(A)	नगर पालिका	255000	250	25500	255000	43334	5000
2	(62363) GADAN KHERA-(A)	नगर पालिका	325000	250	32500	325000	55000	5000
3	(62481) LALKUWAN	ग्रामीण	100000	40	10000	100000	16800	800
Total			680000	540	68000	680000	115134	10800


 जिला आवकारी अधिकारी,
 जनपद-उन्नाव